न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 348/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/556)

1. घासी उर्फ श्योसहाय पुत्र सेडूराम जाति मीणा, निवासी ग्राम टोडा जयसिंहपुरा, तहसील टहला, जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र सेढा, जाति मीणा (मृतक)
   1/1 जगदीश पुत्र स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल मीणा,
   1/2 श्रीमती मनफूली पुत्री स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल मीणा,
   1/3 श्रीमती प्रेम पुत्री स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल मीणा,
   1/4 कृपाल पुत्र स्वर्गीय कन्हैया लाल मीणा, निवासीगण नयावास, तहसील टहला, जिला अलवर।
2. रामनिवास पुत्र सेढा जाति मीणा
3. मूला पुत्र सेढा जाति मीणा (मृतक)
   3/1 दामोदर पुत्र मूला जाति मीणा,
   3/2 जगदीश पुत्र मूला जाति मीणा,
   3/3 सीताराम पुत्र मूला जाति मीणा, निवासीगण टोडा जयसिंहपुरा, तहसील टहला, जिला अलवर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील टहला, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला अलवर निर्णय दिनांक 15.09.2023 अपील संख्या 12/03/2013 उनवानी घासी उर्फ श्योसहाय बनाम कन्हैयालाल वगैरहा पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री ध्रुवसिंह बगड़िया, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री मनीष पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 व 2 की ओर से।
3. श्री प्रेमराज सबलानिया, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/3 की ओर से।
4. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक–20.02.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 15.09.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत टोडा जयसिंहपुरा, पंचायत समिति राजगढ़, जिला अलवर बाबत् इंतकाल संख्या 101 वाके ग्राम थाना के आदेश दिनांक 10.03.1997 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला अलवर ने निर्णय दिनांक 15.09.2023 द्वारा अपीलार्थी की अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 101 स्वीकृत दिनांक 10.03.1997 ग्राम पंचायत टोडा जयसिंहपुरा मियाद बाहर होने से तथा अपील दायर करने में की गयी देरी क्षमा योग्य नहीं होने से अपील में गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना ही खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 15.09.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट घासी उर्फ श्योसहाय पुत्र सेडूराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला अलवर का निर्णय दिनांक 15.09.2023 निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.09.2023 विधि के सिद्धांतों के विपरीत है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी की अपील को मेरिट पर निर्णित करने के बजाय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया गया है, यह विधिक त्रुटि की श्रेणी में आता है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किए जाने योग्य है। नामान्तकरण संख्या 101 दिनांक 10.03.1997 के जरिये अपीलार्थी को मृतक बताते हुए उसके हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि को हड़प कर लिया है। इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा गौर करने के बजाय देरी के आधार पर नामांतकरण को चुनौती दी गई और निर्णय दिनांक 15.09.2023 पारित किया गया जो कि माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के द्वारा पारित निर्णय के सरासर विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 15.09.2023 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर विधि की प्रक्रिया के अनुसार आदेश पारित नहीं किया गया बल्कि अपीलार्थी की अपील को खारिज करने के उद्देश्य से जल्दबाजी में निर्णय दिनांक 15.09.2023 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेज को स्वीकार नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जो अपास्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के द्वारा दफा 05 पर पारित किये गये निर्णयों को गलत तरीके से उक्त प्रकरण में चश्पा कर अपीलार्थी की अपील को खारिज किया है जबकि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की अपील के तथ्य भिन्न है। अपीलार्थी के साथ विपक्षीगण के द्वारा धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज बनाकर विधि की प्रक्रिया का पालन नहीं कर उसके हिस्से की कृषि भूमि के स्वामित्व को हड़प कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपील में न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को नहीं अपनाया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला अलवर दिनांक 15.09.2023 निरस्त फरमाया जावे तथा नामान्तकरण संख्या 101 दिनांक 10.03.1997 को अपास्त कर अपीलार्थी का नाम जमाबंदी में खातेदार काश्तकार के रूप में अंकन करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

6. वकील रेस्पोडेन्ट्स ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा यह कहना गलत है कि उन्हें नामातकरण संख्या 101 दिनांक 10.03.1997 की जानकारी 24.04.2013 को हुई। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी के संबंध में एक नियमित वाद घासी बनाम कन्हैया न्यायालय उपखंड अधिकारी राजगढ में दिनांक 19.05.2002 को मुकदमा नम्बर 01/29/2002 पेश किया जो विचाराधीन है। प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलांट को नामान्तकरण की जानकारी पूर्व से ही दिनांक 20.01.2002 को थी। मियाद प्रार्थना पत्र में नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 24.04.2013 को होने का कथन असत्य दर्ज किया है। अपीलाट की अपील मियाद बाहर है। नामातकरण संख्या 101 से संबंधित भूमि का नियमित वाद विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट का यह भी कथन है कि धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में देरी के प्रत्येक दिन का विवरण देना आवश्यक है, जो प्रार्थी/अपीलांट ने नहीं दिया है। इस कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला अलवर के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के परीक्षण पश्चात विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2023 पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों एवं समस्त दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि इंतकाल संख्या 101 के जरिये अपीलार्थी के साबिक खसरा नम्बर 459, 460, 461

जिसके हाल खसरा नम्बर 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 487, 498/805, 505/806 कुल किता 24 क्षेत्रफल 14.2000 हैक्टेयर है जिसमें अपीलार्थी का स्वामित्व अर्थात् खातेदारी अधिकार रेस्पोडेन्ट ने ले लिए जिसकी अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया तथा उपरोक्त अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित न की जाकर दफा–5 मियाद के आधार पर निर्णित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि विवादित नामान्तकरण संख्या 101 दिनांक 10.03.1997 की जानकारी उन्हें दिनांक 24.04.2013 को प्राप्त हुई एवं दिनांक 24.04.2013 को ही इंतकाल की नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 26.04.2013 को प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ में प्रस्तुत दावा इस्तकरारहक जो प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया उसके पैरा संख्या 10 में कथन किया कि उपरोक्त इंतकाल की जानकारी दिनांक 20.01.2002 को हुई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का भी अध्ययन एवं विश्लेषण किये जाने के पश्चात् मियाद के बिन्दु पर निर्णय किया गया। प्रश्नगत प्रकरण अपील मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने के कारण संतोषजनक एवं विश्वसनीय नहीं पाये गये क्योंकि सर्वप्रथम स्वयं अपीलार्थी द्वारा सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गये। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु पर भी स्पष्ट विवेचन किया गया है कि "नामान्तकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है, जिसमें अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। खातेदारी अधिकारों की घोषणा नियमित वाद में ही की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में भी एक नियमित वाद अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य विचाराधीन है, जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त वाद के अन्तिम निस्तारण से ही वास्तविक अधिकारों की घोषणा का अन्तिम निस्तारण हो सकेगा।" हम उपरोक्त विवेचन से सहमत है कि जब दोनों पक्षों के मध्य खातेदारी का दावा विचाराधीन है, तो मूल विवाद का निर्णय उसी के आधार पर किया जाना उचित है। नामान्तकरण से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते तो इस प्रक्रिया के आधार पर अपीलान्ट को तथ्य छिपाकर अपील प्रस्तुत नहीं करनी चाहिये थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.09.2023 सही है जिसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला अलवर दिनांक 15.09.2023 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 20.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर